

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी कंकु वाई विपक्षी मांगीलाल  
 किस्म मुकदमा 212 25 18 पत्रावली संख्या 09/18 सन् \_\_\_\_\_

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	---

28/4/25  
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।  
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
 बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य  
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
 अज्ञान/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश  
 क्रम में दिनांक 16/1/25 को पेश हो।  
 B10  
 2

11/1/25  
 वकूलाव वादी/प्रतिवादी उप. वा. लाल  
 के लिये मौक़ा चाहते है। अतः कोर्ट से दि. 18/1/25  
 अवसर दिला जाकर पत्रावली दि. 18/1/25  
 को पेश हो।  
 [SDO] मावली

18/8/25  
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया मय स्वयं  
 प्रार्थीया अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीया मय स्वयं प्रार्थीया  
 को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:30PM  
 हो चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया मय स्वयं प्रार्थीया अब तक  
 अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से पकरण वर्तमान  
 में वारिस कायमी में लम्बित हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया को  
 लगभग 6 वर्ष का समय दिये जाने पर भी वारिस कायमी  
 नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थीया  
 अपने प्रार्थना पत्र के प्रति सजग नहीं हैं। आज भी स्वयं  
 प्रार्थीया एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता  
 प्रार्थीया मय स्वयं प्रार्थीया अनुपस्थित रहने पर प्रार्थीया  
 का प्रार्थना पत्र अदम राजरी अदम फेरी में खारिज किया  
 जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।  
 निरिधि शुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
 (फास्ट ट्रेक) मावली

